

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2 4 8 8 /1 4 -5 -2 0 0 2 -7/9 3 दिनांक 28/12/2002)

(अधिनियम की धारा 5 (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, संख्या 4122217
दिनांक 23-Jun-2016

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी: Sameer Gupta पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री: Harish Gupta ज़िला: ट्रेनिंग
तहसील: ट्रेनिंग तहसील परगना: ट्रेनिंग परगना ग्राम सभा: ट्रेनिंग ग्राम सभा
थाना: ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन गांव: ट्रेनिंग गांव डाक: ट्रेनिंग डाक
पिन: 226004

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1 9 7 6 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 24-Feb-2016 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	वृक्ष का व्यास(मीटर में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष का व्यास(मीटर में)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	नीम	111	गिरने से जन धन की हानि	111	ok

एन एस सी संख्या: 1345

डाकघर का

lko

राशि 200.00

नाम :

:

उपयुक्त वृक्ष श्री Sameer Gupta पुत्र श्री Harish Gupta के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 1452 रकवा 12 जिला ट्रेनिंग तहसील ट्रेनिंग तहसील परगना ट्रेनिंग परगना ग्राम सभा ट्रेनिंग ग्राम सभा थाना ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन गांव ट्रेनिंग गांव डाक ट्रेनिंग डाक में स्थित है ।

- आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दो पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख -रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 /- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी

प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रामिक :

3. जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।
4. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।
5. अनुमति शुल्क की राशि १०० रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये।
इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते
6. है, जो कि शासनादेश संख्या ४३४/१४-५-२०१३ दिनांक ११/०३/२०१३ में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे।
7. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक तक विधिमान्य होगा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, ट्रेनिंग

संख्या.4122217 दिनांक : पत्रांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी / ट्रेनिंग तहसील /ट्रेनिंग
2. वन क्षेत्राधिकारी आरो ट्रेनिंग ...जिला ट्रेनिंग
3. थानाध्यक्ष ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन जिला ट्रेनिंग
4. उपजिलाधिकारी ट्रेनिंग तहसीलजिला ट्रेनिंग
5. प्रभारी सुरक्षा बल ट्रेनिंग ...जिला ट्रेनिंग

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी

.....,

यह कंप्यूटर जनित अभिलेख है इसपर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।